निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आषाढ़ 1945 (श0)

(सं0 पटना 554) पटना, शुक्रवार, 7 जुलाई 2023

सांख्यिक वित्त निदेशालय
वित्त विभाग

अधिसूचना
7 जुलाई 2023

सं0 08/एन0बी0एफ0सी0–12/2019–901/वि0—अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का 21) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार से परामर्श के पश्चात बिहार सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली अर्थात् बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली, 2023 बनाती है:–

1. **नाम और प्रारंभ :–**
   (1) यह नियमावली बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह नियमावली राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
2. **परिभाषाएँ :–**
   (1) जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में
      (क) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 केन्द्रीय अधिनियम (2019 का 21)।
      (ख) **''आवेदन''** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 14 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन।
      (ग) **''प्रपत्र''** से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र।
      (घ) **''सरकार''** से अभिप्रेत है बिहार सरकार।
      (ङ) **''सक्षम प्राधिकारी''** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–7 के अधीन समुचित सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी।
      (च) **''अभिहित न्यायालय''** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 8 के अधीन समुचित सरकार द्वारा गठित अभिहित न्यायालय।
      (छ) **''स्वप्रेरणा से संज्ञान''** से अभिप्रेत है सरकारी एजेंसी, न्यायालय या अन्य राज्य या केन्द्रीय प्राधिकार द्वारा अपनी स्वयं की आशंका अथवा स्वप्रेरणा पर पदीय कार्य के अधीन की गयी कार्रवाई।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो अपरिभाषित हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं।

3. **अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन संपत्ति की अनंतिम कुर्की की रीति :**

(1) यदि सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त किसी पदाधिकारी का समाधान हो जाय कि मामले के तथ्य या तो जमा लेनेवाले के नाम पर या जमा लेनेवाले की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर अर्जित संपत्तियों या आस्तियों की पहचान को आवश्यक बनाते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त पदाधिकारी अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के उपबंध का उपयोग करते हुए पुलिस प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी जो उचित समझा जाय या संपत्तियों या आस्तियों के ब्यौरे की माँग वाली सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा लोगों से ब्यौरे प्राप्त कर सकेगा।

(2) जहाँ लोगों से सूचना की माँग इस नियम के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से की जाती है तो पुलिस प्राधिकारी से प्रतिवेदन, जिससे पता चलता है कि प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जा सकेगा।

(3) जहाँ इस धारा के प्रयोजनार्थ अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी या पदाधिकारी का ऐसी सूचना और विशिष्टियाँ, जो विहित की जाय, के आधार पर विश्वास (ऐसे विश्वास के कारण को लेखबद्ध कर) करने का कारण हो कि कोई जमा लेनेवाला अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में जमा की याचना करता है तो वह लिखित आदेश द्वारा जमा लेनेवाले के पास रखी जमा राशि और अर्जित धन या अन्य संपत्ति जो या तो जमा लेनेवाले के नाम से हो या जमा लेनेवाले की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, आदेश की तिथि से, ऐसी रीति से अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा जो विहित की जाय।

(4) अनंतिम कुर्की आदेश की एक प्रति संपत्ति की स्वामी को अथवा उस व्यक्ति को जो संपत्ति रखने का दावा करता हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, जो उक्त संपत्ति में हित रखता हो, तामील करायी जाएगी।

(5) अनंतिम कुर्की आदेश प्रमुख समाचार पत्र (देशी भाषा और अंग्रेजी दोनों में) जिसका क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो अथवा जिस क्षेत्राधिकारी में जमा लेनेवाला अवस्थित हो, में प्रकाशित किया जाएगा।

(6) जहाँ सक्षम प्राधिकारी उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के अनंतिम कुर्की आदेश का तामील कराने में सक्षम नहीं हो तो वह व्यक्ति आदेश के प्रकाशन द्वारा उस रीति से तामील कराया गया समझा जाएगा जो उप नियम (5) में उपबंधित है।

(7) सक्षम प्राधिकारी अचल संपत्ति के सहजदृश्य स्थान पर अनंतिम कुर्की आदेश चिपकाकर अचल संपत्ति पर कब्जा करेगा।

(8) जहाँ कुर्की की जानेवाली संपत्ति चल संपत्ति हो तो सक्षम प्राधिकारी ऐसी संपत्ति को वास्तविक भौतिक कब्जा में लेगा और अपनी अभिरक्षा या उसकी या स्थानीय प्राधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त किसी अन्य पदाधिकारी की अभिरक्षा में रखेगा।

(9) सक्षम प्राधिकारी किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अधीन शक्तियों के साथ गठित या न्यस्त किसी अभिहित न्यायालय या किसी अन्य न्यायिक फोरम/प्राधिकार को समान अधिनियमिति के अधीन जमा लेनेवाले की किसी धनराशि या संपत्ति से संबंधित किसी मामले या विषय–वस्तु पर न्यायनिर्णयन के लिए भी आवेदन कर सकेगा जो अधिनियम के अधीन अधिसूचित जमा लेनेवाले या व्यक्ति से सम्बद्ध धनराशि और संपत्ति की बाबत है और जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए समुचित आदेश हेतु उस प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर स्थित है।

(10) ऐसी दशा में जहाँ धनराशि या संपत्ति अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के अभिहित न्यायालय/न्यायिक फोरम द्वारा स्वीकृत अनुमति पर कुर्क की गयी हो, तो ऐसी कुर्की की संपुष्टि के लिए आवेदन उसी न्यायालय में दाखिल की जाएगी।

(11) सक्षम प्राधिकारी अनंतिम रूप से कुर्क की गयी संपत्ति का अभिलेख संधारित करेगा जिसमें उपगत व्यय या संपत्ति के प्रबंधन की लागत के ब्यौरे तथा संपत्ति से प्राप्त कोई आय शामिल होंगे।

(12) सक्षम प्राधिकारी जमा लेनेवाले की आस्तियों और दायित्वों का निर्धारण करेगा तथा जमाकर्ताओं, जिनसे जमा लेनेवाले ने अविनियमित जमा योजना के अनुसरण में जमा ली है, का पूर्ण अभिलेख तैयार करेगा।

(13) जहाँ कब्जे में ली गयी संपत्ति विनश्वर प्रकृति की हो, तो सक्षम प्राधिकारी जमाकर्ताओं के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर उसे बेच सकेगा।

(14) उपनियम (13) के अधीन विक्रय के ब्योरे और आगम उपनियम (11) में यथाविनिर्दिष्ट अभिलेख में अलग से दर्ज किए जायेंगे।

(15) अधिनियम के उपबंध के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुर्क की गयी सभी धनराशि या संपत्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीलबंद की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी की अभिरक्षा में रहेगी या उनकी सहायता के लिए नियुक्त किसी अन्य पदाधिकारी की अभिरक्षा में या स्थानीय प्राधिकारी की अभिरक्षा में रहेगी।

(16) सक्षम प्राधकारी अनंतिम कुर्की आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर जिसे कारणों को लेखन द्वारा अभिलिखित कर 60 दिनों तक बढ़ायी जा सकेगी, ऐसी विशिष्टियों के साथ आवेदन दाखिल करेगा जो अनंतिम कुर्की को अंतिम बनाने के लिए तथा अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार कुर्क की गयी संपत्ति को बेचने के लिए या यदि आवश्यक हो तो निजी विक्रय के लिए अभिहित न्यायालय के समक्ष विहित की जाय।

(17) जहाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनंतिम आदेश पारित किया गया हो तो ऐसी कुर्की अभिहित न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन आदेश पारित होने तक बनी रहेगी।

(18) इसमें उल्लिखित जमा लेनेवाले तथा व्यक्तियों की सभी कुर्क धनराशि या संपत्ति सक्षम प्राधिकारी में निहित होगी और अभिहित न्यायालय के अगले आदेश तक यह निहित बनी रहेगी।

सक्षम प्राधिकारी उसे सहायता करने के लिए नियुक्त किसी अन्य पदाधिकारी की अभिरक्षा में या स्थानीय प्राधिकारी/राजस्व पदाधिकारी/पुलिस प्राधिकारी की अभिरक्षा में इसे बनाए रख सकता है।

4. **अन्वेषण या जाँच करते समय निहित शक्तियाँ** :–

(1) जबतक कि अन्यथा आवश्यक महसूस न हो, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अन्वेषण या जाँच करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित नोटिस जारी की जायेंगी अर्थात :

(i) प्रपत्र–क' में कार्य प्रारंभ करने के लिए नोटिस;

(ii) प्रपत्र–ख' में अपेक्षित अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, के लिए नोटिस; उपस्थिति के लिए अंतिम नोटिस;

(iii) 'प्रपत्र–ग' में जमा लेनेवाले या अन्य व्यक्ति और साक्षी की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए अंतिम नोटिस;

(2) अनंतिम कुर्की आदेश में जिस सीमा तक संभव हो निम्नलिखित होंगे :

(i) शिकायत के ब्यौरे;

(ii) जमा लेनेवाले या वित्तीय निकाय के ब्यौरे;

(iii) पुलिस से जाँच प्रतिवेदन

(iv) विनियामक यदि कोई हो, से प्राप्त प्रतिवेदन;

(v) लोगों से प्राप्त शिकायतें;

(vi) कार्यवाहियों के ब्यौरे, ऐसी संपत्तियों को कुर्क करने के कारण, कुर्की की प्रभावी तिथि

(vii) जारी की गयी या तामील करायी गयी नोटिस तथा वितरण प्रमाण, यदि कोई हो, की प्रतियाँ

(viii) निष्कर्ष का सारांश

(ix) कुर्क संपत्ति के ब्यौरे, बैंक लेखा संख्या, कुर्क राशि, प्रतिभूति जिसके अंतर्गत शेयर और बंधपत्र हैं, कुर्क चल संपत्ति, ऐसी संपत्ति का अनुमानित मूल्य और अचल संपत्ति की दशा में भूमि विस्तार, सर्वे संख्या और ऐसी संपत्तियों की सीमा और ऐसी संपत्ति धारक के नाम;

(x) निर्णय ; और

(xi) साक्ष्य (साक्ष्य या प्रमाण संलग्न करें)।

(3) सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन कार्यवाहियों को अभिलिखित करेगा और विधि की सम्यक् प्रक्रिया का तत्परतापूर्वक पालन करेगा।

5. **फरार व्यक्तियों से संबंधित शक्तियाँ**।–जहाँ सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त पदाधिकारियों का समाधान हो या विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा व्यक्ति जिसपर कार्रवाई करने का विचार किया जा रहा है, फरार है या अपने को छिपा रखा है तो सक्षम प्राधिकारी आगे की कार्रवाई के लिए अभिहित न्यायालय को लिखित में प्रतिवेदन देगा।

6. **संपत्तियों के अभिग्रहण की शक्ति**–जहाँ सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त पदाधिकारियों का समाधान हो या विश्वास करने के कारण हो कि कोई संपत्ति जो अधिनियम के अधीन कुर्क किए जाने का भागी है उसे छिपाने की, अंतरित करने की या ऐसी रीति से निपटाने की संभावना है जिससे अधिनियम का प्रयोजन निष्फल होगा तो वह ऐसी संपत्ति के अभिग्रहण के लिए पुलिस पदाधिकारी को निदेश दे सकेगा या जहाँ ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण व्यवहार्य नहीं हो तो वह ऐसी संपत्ति को अनुपलभ्य बना देगा और यह अंतरित नहीं की जाएगी या अन्यथा इसका निपटान नहीं किया जाएगा।

7. **विधि व्यवसायी एवं अन्य को नियुक्त करने की शक्ति**–सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त पदाधिकारी अभियोजन विभाग, विधि व्यवसायियों या चार्टड एकाउंटेंट या किसी अन्य व्यक्ति जिनकी सेवा आस्तियों पर कब्जा करने और वसूली के लिए आवश्यक है, की सेवा लेने का हकदार होगा।

8. **न्याय संबंधी या डिजिटल लेखा परीक्षा, मूल्यांकन या आस्तियों के विक्रय के लिए एजेंसियों को पैनलित करने की सरकार की शक्ति**–

(1) सरकार निम्नलिखित सूची को पैनलित और अधिसूचित करेगी–

(क) आस्तियों के मूल्यांकन के लिए और भावी क्रेताओं को आस्तियों के विक्रय में सहायता करने के लिए एजेंसियाँ, और

(ख) धन के निशान (ट्रेल) की लेखा परीक्षा के लिए न्याय संबंधी लेखा परीक्षक और डिजिटल लेखा परीक्षक

(2) सक्षम प्राधिकारी आस्तियों के मूल्यांकन, आस्तियों के विक्रय और धन के निशान की न्याय संबंधी एवं डिजिटल लेखा, परीक्षा के लिए ऐसी एजेंसियों एवं लेखा परीक्षकों की सेवाओं का उपयोग करेगा।

(3) जहाँ कहीं अपेक्षित महसूस हो राज्य द्वारा ऐसी एजेंसियों को पैनलित करने तक सक्षम प्राधिकारी भारतीय बैंक संघ द्वारा धन के निशान की लेखा परीक्षा के लिए पैनलित न्याय संबंधी लेखा परीक्षकों या डिजिटल लेखा परीक्षकों की सेवाओं का भी उपयोग कर सकेगा।

9. **कुर्क संपत्तियों को मुक्त करते समय मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त करना।**–अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन कुर्की के बदले संपत्ति के उचित मूल्य को जमा करने की अनुमति देते समय अभिहित न्यायालय संपत्तियों को मुक्त करते समय कम से कम दो पैनलित मूल्यांकनकर्ताओं से मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त कर सकेगा।

10. **स्वयं सहायता समूहों के लिए अधिकतम सीमा।**–स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य द्वारा प्रतिमाह रूपया 10,000/–(दस हजार रूपये मात्र) की राशि का किया गया कोई भी आवधिक भुगतान, अधिनियम की धारा–2 की उपधारा (4) (ञ) के अन्तर्गत निक्षेप का हिस्सा नहीं होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मुकेश कुमार लाल,
सरकार के विशेष सचिव।

'प्रपत्र—क'

[नियम 4 (1) (i) देखें]

कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए नोटिस

सेवा में,

....

....

....

विशयः— **मेसर्स**..

महोदय,

सूचना या प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रथमदृष्ट्या स्पष्ट है कि विषयांकित वित्तीय निकाय या जमा लेनेवाले ऐसे कृत्य में शामिल है जो अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अधीन संज्ञेय है।

सक्षम प्राधिकारी या अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) और (4) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को वही शक्ति है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में, धारा 3 या 4 के उल्लंघन में जमा योजना के अधीन अनियमित जमा योजनाओं या चूक की बाबत अन्वेषण या जाँच करते समय निहित है। इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश दिए जाते हैः—

आप से अनुरोध है कि विषय के संबंध में निम्नलिखित समर्पित करें;

(क) वित्तीय निकाय, निकाय का रजिस्ट्रीकरण, विनियामक, यदि कोई हो, से जमा स्वीकार करने की अनुमति जिसमें विशिष्ट पहचान संख्या या रजिस्ट्रीकरण और स्थायी लेखा संख्या शामिल हैं, के ब्यौरे।

(ख) संप्रवर्तक, प्रबंध निदेशक, निदेशक, भागीदार, प्रबंधन व्यक्ति आदि जिसमें विशिष्ट पहचान संख्या या रजिस्ट्रीकरण और स्थायी लेखा संख्या शामिल है, के ब्यौरे।

(ग) दाखिल नवीनतम संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ एवं हानि लेखे।

(घ) विनियामक के ब्यौरे और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, जमा लेने के कार्य को करने की अनुमति।

(ङ) जमा योजना, जिसके अधीन लोगों से जमा संगृहीत की जाती है, के पूरे ब्यौरे को प्रस्तुत करना।

(च) स्वीकार्य जमा के साथ जमाकर्ताओं की सूची, ब्याज दर, परिपक्वता तिथि, ब्याज और मूलधन की चुकौती की शर्तें, देय कमीशन के कोई अन्य वचन या आश्वासन आदि।

(छ) जमा की चुकौती में चूक, यदि कोई हो या चूक की तिथि के साथ ऐसी जमा के विरूद्ध किसी सेवा के वचन के ब्यौरे।

(ज) चूक की कुल राशि और प्रभावित जमाकर्ताओं की संख्या, यदि कोई हो।

(झ) चूक के कारण, यदि कोई हो।

(ञ) चूक की राशि को चुकाने के लिए उठाए गए कदम या प्रस्तावित कदम।

(ट) लेखा में नवीनतम शेष के साथ वित्तीय निकाय बैंक लेखे के ब्यौरे।

एतद् द्वारा आप से अपेक्षा की जाती है कि दिनांक—.................................के पूर्वा0 /अप0......................
. मेरे कार्यालय में उपर्युक्त सूचीबद्ध तथा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित पूर्ण ब्यौरे या तो स्वयं या इस निमित्त लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से समर्पित करें या उक्त समय पर इस विषय की गतिविधि या कार्य के समर्थन में आपके द्वारा भरोसा किए जाने वाले कोई दस्तावेज, लेखा तथा कोई अन्य साक्ष्य-प्रस्तुत करें या करवाएँ।

अधोहस्ताक्षरी के आदेश के अनुपालन में विफल होने की दशा में यह समझा जाएगा कि आपको इस विषय में कुछ नहीं कहना है तथा अधिनियम के समुचित उपबंधों के अधीन कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। सुनवाई के समय उपस्थित नहीं होने पर या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण या एक पक्षीय आदेश किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

दिनांक :

'प्रपत्र–ख'
[नियम 4 (1) (ii) देखें]
अतिरिक्त सूचना के लिए नोटिस

सेवा में,

....
....
....

विषयः– **मेसर्स**.................................

संदर्भः– **प्रपत्र–क में नोटिस**

महोदय,

सूचना या प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रथमदृष्ट्या स्पष्ट है कि विषयांकित वित्तीय निकाय या जमा लेनेवाला ऐसे कृत्य में शामिल है जो अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अधीन संज्ञेय है।

सक्षम प्राधिकारी या अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) और (4) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को वही शक्ति है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में, अधिनियम की धारा 3 के अधीन जमा योजनाओं के अन्तर्गत अनियमित जमा योजनाओं या चूक की बाबत अन्वेषण या जाँच करते समय, निहित है। इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश दिए जाते हैः–

(क) जमा योजनाओं *या चिट फंड योजना* या जमा की चुकौती* में चूक या ऐसी जमा के विरूद्ध किसी विनिर्दिष्ट सेवा के वचन के संबंध में नीचे सूचीबद्ध कुछ अतिरिक्त ब्यौरे या स्पष्टकरण या अतिरिक्त सूचना अपेक्षित है, जिसकी मैं वित्तीय निकाय द्वारा जमा योजनाओं के अधीन अतिरिक्त सूचना के लिए माँग करना चाहता हूँ, जिसे कृपया तुरंत प्रस्तुत करें:

i
ii
iii
iv

(ख) एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि दिनांक–................के पूर्वा०/अप०.................. मेरे कार्यालय में या तो स्वयं या इस निमित्त लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें या उक्त समय पर इस विषय की गतिविधि या कार्य के समर्थन में आपके द्वारा भरोसा किए जानेवाले कोई दस्तावेज, लेखा तथा कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करें या करवाएँ।

(ग) अधोहस्ताक्षरी के आदेश के अनुपालन में विफल होने की दशा में यह समझा जाएगा कि आपको इस विषय में कुछ नहीं कहना है तथा अधिनियम के समुचित उपबंधों के अधीन कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। सुनवाई के समय उपस्थित नहीं होने पर या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर सर्वोत्तम निर्णय निधारण या एकपक्षीय आदेश किया जा सकता है।

(नोटः *जो लागू नहीं है उसे काट दें)

दिनांकः **विश्वासभाजन**

'प्रपत्र—ग'

[नियम 4 (1) (iii) देखें]

अंतिम नोटिस

सेवा में,

....

....

....

विषयः— **मेसर्स...**

संदर्भः— **प्रपत्र—क में नोटिस दिनांकः**

प्रपत्र—ख में नोटिस दिनांकः

महोदय,

सूचना या प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रथमदृष्ट्या स्पष्ट है कि विषयांकित वित्तीय निकाय या जमा लेनेवाले ऐसे कृत्य में शामिल है, जो अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अधीन संज्ञेय है।

सक्षम प्राधिकारी या अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) और (4) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को वही शक्ति है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में, अधिनियम की धारा 3 के अधीन जमा योजनाओं के अन्तर्गत अनियमित जमा योजनाओं या चूक की बाबत अन्वेषण या जाँच करते समय, निहित है। इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश दिए जाते हैः—

(क) ब्यौरे तथा दस्तावेज संख्या—......................दिनांक—..................की मांग वाली प्रपत्र क में नोटिस के अनुसार आपसे ब्यौरे तथा दस्तावेज समर्पित करने के लिए कहा गया था किन्तु मांगे गए ब्यौरे एवं दस्तावेज समर्पित करने में आप विफल रहे हैं।

और / या

(ख) प्रपत्र—ख में नोटिस के अनुसार आपसे कुल अतिरिक्त दस्तावेज या ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए और दिनांक—................के पूर्वा0 / अप0................मेरे कार्यालय में या तो स्वयं या अपनी ओर से लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहने या उक्त समय पर इस विषय की गतिविधि या कार्य के समर्थन में आपके द्वारा भरोसा किए जानेवाले कोई दस्तावेज, लेखा तथा कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने या करवाने के लिए कहा गया था, किन्तु ब्यौरे एवं दस्तावेज के साथ आप उपस्थित नहीं हुए हैं।

(ग) अधोहस्ताक्षरी के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मद्देनजर आपको अंतिम अवसर दिया जाता है कि आप दिनांकः—............के पूर्वा0 / अप0................मांगे गए ब्यौरे और दस्तावेज के साथ मेरे समक्ष उपस्थित हों, इसमें विफल होने पर यह समझा जाएगा कि आपको इस विषय में कुछ नहीं कहना है तथा अधिनियम के समुचित प्रावधानों के अधीन कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। सुनवाई के समय उपस्थित नहीं होने पर या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण या एकपक्षीय आदेश किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

दिनांक : **............आदि के आदेश से**

Directorate of Institutional Finance
Finance Department

Notification
The 7th July 2023

No. 08/NBFC –12/2019–901/F—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Banning of Unregulated Deposit Scheme Act, 2019(21 of 2019) and after Consultation with the Government of India the Government of Bihar hereby makes the following rules, namely the Bihar Banning of unregulated Deposit Schemes Rules, 2023

1. ***Title and commencement :—***
   (1) These rules may be called the Bihar Banning of Unregulated Deposit Schemes Rules, 2023.
   (2) It shall extend to whole of the state of Bihar.
   (3) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. ***Definitions.—***
   (1) In these rules, unless the context otherwise requires.-
      (a) ***"Act"*** means the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act 2019 central Act (21 of 2019).
      (b) ***"Application"*** means an application filed by the Competent Authority under section 14 of the Act.
      (c) ***"Form"*** means a form appended to these rules.
      (d) ***"Government"*** means the Government of Bihar.
      (e) ***"Competent Authority"*** means an Authority appointed by the appropriate Government under section 7 of the Act.
      (f) ***"Designated court"*** means a Designated court constituted by the appropriate Government under section 8 of the Act.
      (g) ***"Suo motu cognizance"*** means an action taken by a Government agency, court or other State or Central authority on its own apprehension or official acts of its own initiative.
   (2) The words and expressions used here in and not defined but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. ***The manner of provisional attachment of property, under sub section-(3) of section-7 of the Act.—***
   (1) If the Competent Authority or an Officer appointed to assist the Competent Authority is satisfied that the facts of the case necessitate identification of the properties or assets acquired either in the name of the deposit taker or in the name of any other person on behalf of the deposit taker, the Competent Authority or Officer appointed to assist the Competent Authority ,may procure such details from police authorities utilizing the provision of sub-section (1) of section 31 of the Act or any other authority as deemed fit or from public through a public notification seeking the details of properties or assets.
   (2) Where the information is sought from the public through the public notification specified in sub-rule(1) of this rule, an advertisement may be released in two prominent local newspapers within a period of fifteen days of receipt of report from the Police Authorities informing that a prima facie case exists.
   (3) Where the Competent Authority or Officers appointed under sub-section(2) of section-7 of the Act for the purposes of this section, has reason to believe (the reason for such belief to be recorded in writing), on the basis of such information and particulars as may be prescribed, that any deposit taker is soliciting deposits in contravention of section 3 of the Act he may, by an order in writing, provisionally attach the deposits held by the deposit taker

and the money or other property acquired either in the name of the deposit taker or in the name of any other person on behalf of the deposit taker from the date of order, in such manner as may be prescribed.

(4) A copy of the order of provisional attachment shall be served on the owner of the property, or any person who claims to be in possession of the property or any other person who has an interest in the said property.

(5) The order of provisional attachment shall be published in a leading newspaper (both in vernacular and in English) having wide circulation in the area or jurisdiction in which the deposit taker is located.

(6) Where the Competent Authority is not able to serve the order of provisional attachment to a person specified in sub rule (4) then such person shall be deemed to be served the order by the publication of the order in the manner provided under sub rule(5).

(7) The Competent Authority shall take possession of the immovable property by affixing the order of provisional attachment at a conspicuous place of such immovable property.

(8) Where the property to be attached is a movable property the Competent Authority shall take actual physical possession of such property and retain it in his custody or in the custody of any other officer appointed to assist him or in the custody of local authority.

(9) The Competent Authority may also make an application to any Designated Court or any other judicial forum/authority constituted or entrusted with the powers under any other state Government or Union territory law for adjudicating any issue or subject matter pertaining to any money or property of a deposit taker under similar enactment in respect of money and property belonging to deposit taker or person notified under the Act situated within the territorial Jurisdiction of that authority for appropriate orders to give effect to the provisions of this Act.

(10) In case where the money or property has been attached on the permission granted by a Designated Court/Judicial forum in another state or union territory, the application for confirmation of such attachment shall be filed in that court.

(11) The Competent Authority shall maintain a record of property provisionally attached which shall include details of any expenditure incurred or any costs of management of the property and of any income received from the property.

(12) The Competent Authority shall assess the assets and the liabilities of the deposit taker and prepare a complete record of depositors from whom the deposit taker has collected deposits pursuant to an unregulated deposit scheme.

(13) Where any property of which possession has been taken is of a perishable nature, the Competent Authority may sell the same keeping in mind the best interest of the depositors.

(14) The details and proceeds of the sale under sub-rule (13) shall be entered separately by the record as specified in sub-rule (11).

(15) All money or property attached by the Competent Authority under the provision of the Act shall be sealed by the Competent Authority and shall be in the custody of the Competent Authority or the custody of other officer appointed to assist him or in the custody of local authority.

(16) The Competent Authority shall within a period of thirty days which may extend up to sixty days for reason to be recorded in writing from the date of the order of provisional attachment file an application with such particulars as may be prescribed before the Designated Court for making the provisional attachment absolute and for permission to sell the property so

attached by public auction or if necessary by private sale, under sub-section (1) of section 14 of the Act.

(17) Where an order of provisional attachment has been passed by the Competent Authority,
Such attachment shall continue until an order is passed under sub-section (3) or sub-section (5) of section 15 of the Act by the Designated Court.

(18) All the attached money or property of the deposit taker and persons mentioned there in shall vest in the competent Authority and shall remain so vested till further order of the Designated Court.
The competent authority can retain it in the custody of any other officer appointed to assist him or in the custody of local authority/Revenue officer/Police authority.

4. ***Powers vested while conducting investigation or inquiry.—***

(1) Unless and otherwise felt essential, to conduct investigation or inquiry under sub-section (4) of section-7 of the Act while conducting investigation or inquiry, the following notices may be issued by the Competent Authority, namely;-
- (*i*) notice for initiation of action in 'Form-A';
- (*ii*) notice for additional information, if any, required in 'Form- B';
- (*iii*) final notice for personal attendance of deposit taker or other persons and witness in 'Form-C'.

(2) The Order of Provisional attachment shall contain to the extent possible, the following:
- (*i*) details of the Complaint;
- (*ii*) details of the Deposit Taker or Financial entity;
- (*iii*) inquiry report from the Police:
- (*iv*) report received from regulator if any;
- (*v*) complaints received from public;
- (*vi*) details of the Proceedings, reasons for attaching such properties, effective date of attachment;
- (*vii*) copies of the Notices issued or Served and delivery proof, if any;
- (*viii*) summary of the findings;
- (*ix*) details of property attached, bank account numbers, amount attached, securities including shares and bonds, attached movable property, approximate value of such property and in case of immovable property the extent of land, survey numbers and boundaries of such property and name of the title holder of such property; and
- (*x*) conclusion; and
- (*xi*) evidences (attach the evidences or proof).

(3) The Competent Authority shall record the proceedings under sub section (4) of section 7 of the Act and shall follow due process of law diligently.

5. ***Powers relating to absconding persons.—*** Where the Competent Authority or the Officers appointed to assist the Competent Authority is satisfied or has reasons to believe that a person in respect of whom action is contemplated under the Act has absconded or is concealing himself, the Competent Authority or the Officers appointed to assist the Competent Authority shall make a report in writing to the Designated Court for further course of action.

6. ***Power to seize properties.—***Where the officers appointed to assist the Competent Authority or Competent Authority is satisfied or has reason to believe that any property which is liable to be attached under the Act is likely to be concealed, transferred or dealt in any manner which will result in defeating the purpose of the Act, it may direct the police officer to seize such property or where it is not

practicable to seize such property make an order to freeze such property and it shall not be transferred or otherwise disposed of or dealt with.

7. ***Power to appoint legal practitioner and others.***—The competent Authority or an officer appointed to assist the Competent Authority shall be entitled to use the services of the Department of Prosecution, legal practitioners or chartered accountants or any other persons whose services are necessary for possession and realization of the assets.

8. ***Power of Government to empanel agencies for forensic or digital audit, valuation or sale of assets.***—

(1) The Government shall empanel and notify the list of-

(a) Agencies for valuation of assets and for assisting in selling of assets to prospective buyers; and

(b) Forensic auditors and digital auditors for audit of money trail.

(2) The competent Authority shall utilize the services of such agencies and auditors for valuation of assets, for selling of assets and for forensic and digital audit of money trail.

(3) The Competent Authority may also utilize the services of Forensic Auditors or Digital Auditors empanelled by the Indian Bank's Association for Audit of Money trail till the State empanels such agencies , wherever felt required.

9. ***Valuation reports to be obtained while releasing properties attached.***—The Designated Court while according permission to deposit the fair value of the property in lieu of the attachment under sub-section (1) of section 17 of the Act may obtain valuation reports from at least two empanelled Valuers while releasing properties.

10. ***Ceiling for self-help Groups.***—Any periodical payment made by a member of Self-help group upto a sum of Rs.10,000/-(Rupees Ten Thousand only) per month shall not form a part of deposit as defined under clause (J) of sub-section (4) of section-2 of the Act;

By the order of Governor of Bihar,
MUKESH KUMAR LAL,
Special Secretary to Government.

'Form-A'

[see rule 4 (1)(i)]

Notice for initiation of action

To

____

____

Sir/Madam,

Sub:M/s

Based on the information or reports received it is prima facie apparent that the subject financial entity or deposit taker is involved in the Act which are cognizable under the provisions of section 3 of the Act.

The Competent Authority or the Officers appointed to assist the Competent Authority are under sub section (3) and (4) of the section 7 of the Act have the same power as vested in a civil court the Code of Civil Procedure, 1908 while conduction investigation or inquiry in respect of the unauthorized deposit schemes or defaults under the deposit schemes in contravention of section 3 or 4. In exercise of the power under the Act the following is ordered;

In Connection with the subject, you are required to submit the following;

(a) Details of financial entity, registration of the entity, permission to accept deposits from regulators if any, including unique identification number or Registration and PAN numbers.

(b) Details of the Promoters, Managing Directors, Directors, Partners, Management person etc. including unique identification number or Registration and PAN numbers.

(c) Latest audited Balance Sheet and Profit and Loss accounts filed.

(d) Details of the Regulator and the copy of registration certificates, permissions to undertake the activity of deposit taking.

(e) Produce full details of the Scheme of Deposits under which deposits are being collected from public.

(f) List of the Depositors along with Deposit accepted, Rate of interest, Maturity Date, terms of repayment of interest and principle any other promises or assurances of commissions payable etc.

(g) Details of defaults if any in repayment of Deposit or any specified service promised against such deposit along with date of default.

(h) Total amount in default and number of depositors affected, if any

(i) Reasons for default if any

(j) Step taken or proposed to repay the amount in default

(k) Details of the Bank accounts of the financial entity with latest balance in the accounts.

You are hereby required to submit the full details listed above and duly attested, to my office on______________________at ________________________either in person or through representative duly authorized in writing in this behalf or produce or cause to be produced at the said time any documents, accounts and any other evidence you may rely in support of the activity or the acts in the matter.

In case you fail to comply with the orders of the under signed, it will be deemed that you have nothing to say in the matter and action under the appropriate provisions of the Act will be initiated. Failure to be present at the hearing granted, or failure to present evidence can result in a Best Judgment Assessment or an ex-parte order.

(Note:*Strike whichever is not applicable)

Date: **Yours faithfully,**

'Form-B'
[see rule 4(1)(ii)]
Notice for additional information

To

____

____

Sir/Madam,
Sub:M/s

Ref: Notice in Form -A
Based on the information or reports received it is prima facie apparent that the subject financial entity or deposit taker is involved in the Act which are cognizable under the provisions of section 3 of the Act.
The Competent Authority or the Officers appointed to assist the Competent Authority sub section (3) and (4) of the section 7 of the Act have the same power as vested in a civil court the Code of Civil Procedure, 1908 while conduction investigation or inquiry in respect of the unauthorized deposit schemes or defaults under the deposit schemes under section 3 of the Act. In exercise of the power under the Act the following is ordered;

(A) Certain further details or clarification or additional information listed here below are required in connection with the Deposit Schemes*or Chit funds Scheme*or Default in repayment* of Deposit or any specified service promised against such deposit on which I would call for additional information, under the deposit schemes by the financial entity which please furnish immediately.
   i.
   ii.
   iii.
   iv.

(B) You are hereby required to attend my office on__________________at ______________________either in person or through representative duly authorized in writing in this behalf or produce or cause to be produced at the said time any documents, accounts and any other evidence you may rely in support of the activity or the acts in the matter.

(C) In case you fail to comply with the orders of the under signed, it will be deemed that you have nothing to say in the matter and action under the appropriate provisions of the Act will be initiated. Failure to be present at the hearing granted, or failure to present evidence can result in a Best Judgment Assessment or an ex-parte order.

(Note:*Strike whichever is not applicable)

Date: **Yours faithfully,**

" Form-C"

[see rule 4 (1)(iii)]

Final Notice

To

____

____

____

Sir/Madam,

Sub:M/s

Ref: Notice in form-A dated:
Notice in form-B dated:

Based on the information or reports received it is prima facie apparent that the subject financial entity or deposit taker is involved in the Act which are cognizable under the provisions of section 3 of the Act.

The Competent Authority of the Officers appointed to assist the Competent Authority are under sub section (3) and (4) of the section 7 of the Act have the same power as vested in a civil court the Code of Civil Procedure, 1908 while conduction investigation or inquiry in respect of the unauthorised deposit schemes or defaults under the deposit schemes under section 3 of the Act. In exercise of the power under the Act the following is ordered;

(A) As per Notice in Form A calling details and documents No.______________ dated: ________________you were asked to submit the datails and documents but you have failed to submit the details and document called for.

and/or.

(B) As per Notice in Form B you were asked to furnish certain additional documents or details and also to attend my office on __________________at _________________either in person or through a representative duly authorized in writing on his/her behalf or produce or cause to be produce at the said time any documents, accounts and any other evidence you may rely in support of the activity or the acts in the matter,

But you have failed to appear before me along with the details and document failed for.

(C) In view of the your not complying with the orders of the under signed, a final opportunity is given to you to submit the details and document called for and/of appear before me along with the details and document called for on_______at__________failing which it will be deemed that you have nothing to say in the matter and action under the appropriate provisions of the Act will be initiated. Failure to be present at the hearing granted, of failure to present evidence can result in a Best Judgment Assessment or an ex-parte order.

(Note:*Strike which ever is not applicable)

Yours faithfully,

Date:

By Order and etc,------

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 554-571+300-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in